राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बांद्रा (पू) मुंबई -400051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फ़ैक्स :+911 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • website :www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development

Department of Refinance
Head Office: BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Tel. +91 22 2652 4926 * Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org * website : www.nabard.org

संदर्भ.सं.राबैं(डीओआर)/जीएसएस/ 763 / डीईडीएस-1 / 2017-18 26 मई 2017

परिपत्र सं. 132 /डीओआर- 29 / 2017

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ कृषि विकास वित्त कंपनियाँ(एडीएफ़सी)/ राज्य सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) - वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए योजना जारी रखना

भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय से जारी 20 अप्रैल 2017 के प्रशासनिक अनुमोदन सं.एफ़ सं.1-1/2009-डीपी की एक प्रति आपकी सूचना के लिए हम इसके साथ भेज रहे हैं. इस पत्र के अनुसार वर्ष 2017-18 के दौरान डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) जारी रहेगी. इस संबंध में भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में रु.240.00 करोड़ का प्रावधान किया है. राज्य-वार बजट आबंटन अनुबंध - I में दिए गए हैं. तथापि, योजना के 1 से 3 घटकों के लिए सूखा, बाढ़, नक्सल और आतंकवाद से ग्रस्त ज़िलों के किसानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. समूह मोड में कार्यरत क्लस्टर/स्वयं-सहायता समूहों की महिलाओं, सहकारी संस्थाओं और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और क्लस्टर मोड में दुग्ध उत्पादन के विपणन संबंधी संस्थाओं के प्रस्तावों को बैंक वरीयता दें.

Ref. No. NB (DoR)/GSS/ 763 / DEDS - 1 / 2017-18 26 May 2017

Office Circular No. 132 /DoR - 29 /2017

The Chairman/Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All RRBs/ADFCs/StCBs/SCARDBs
All Scheduled Primary Urban Co-operative Banks

Dear Sir

Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) - Continuation of the Scheme for the financial year 2017-18

We forward herewith a copy of Administrative Approval No. F No.1-1/2009-DP dated 20th April 2017 issued by Department of Animal Husbandry Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India for implementation of Central Sector Scheme - Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) during 2017-18 for your information. A budget provision of Rs.240.00 crore has been made by Government of India for 2017-18. The State - wise budget allocation has been indicated in Annexure - I. However, priority should be given to farmers of drought, flood, naxalite and terrorist affected districts of the country for component 1 to 3 of scheme. Banks are advised to give priority to proposals in cluster mode farmers/Women in SHGs, Cooperatives and Producer Companies including creation facilities of processing, value addition and marketing of milk produced in the cluster mode.

वर्ष 2017-18 के लिए यह योजना 01 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 तक खुली रहेगी. बैंक के स्तर पर इस अवधि के दौरान बैंक के स्तर पर (डीईडीएस के अधीन) लाभार्थियों से प्राप्त होने वाले (बाद में स्वीकृत किये गये) ऋण आवेदन योजना के अधीन पात्र होंगे और निधियों की उपलब्धदता के आधार पर योजना के अधीन सब्सिडी जारी की जाएगी.	The scheme is open from 1st April 2017 to 30th September 2017 for the Financial Year 2017-18. The loan applications received at bank level (under DEDS) from the beneficiaries during the period (which are sanctioned later) are eligible under the scheme and subsidy will be released subject to availability of funds under the scheme.
प्रशासनिक अनुमोदन के अनुबंध में दिए गए योजना के मार्गनिर्देशों के अन्य पक्षों का पालन करना होगा.	Other aspects of the Scheme Guidelines as annexed to the Administrative Approval have to be followed.
भवदीय रोहित मिश्र रोहित मिश्र महाप्रबंधक अनुलग्नक : यथोपरि	Yours faithfully Rohit Mishra (Rohit Mishra) General Manager Encls : as above

परांकन : ऊपरयुक्त दिनांक के पत्र सं. राबैं(डीओआर)/जीएसएस/764 / डीईडीएस-1/ 2017-18 की प्रतिलिपि जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत;

Endt : Copy of the letter no. NB (DoR)/GSS/ 764 / DEDS - 1 / 2017-18 of date forwarded for information and necessary action to;

1. प्रधान लेखा अधिकारी, भारत सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य व्यवसाय विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, 16 अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली - 110011
   Principal Accounts Officer, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, 16, Akbar Road Hutments, New Delhi-110011.
2. महालेखाकर, वाणिज्य, वर्क्स एंड मिसलेनियस, एजीसीआर बिल्डिंग, आईटीओ के पास, नई दिल्ली - 110002
   The Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, AGCR Building, Near ITO, New Delhi-110002.
3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि और सहकारिताविभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
   Chief Controller of Accounts, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi.
4. सलाहकार(कृषि), एनएम आयोग, नई दिल्ली Advisor (Agriculture), Nm AAYOG, New Delhi.
5. अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, पशुपालन और डेयरी विभाग,
   Additional Secretary & Financial Advisor, Deptt. of Animal Husbandry & Dairying, Krishi Bhavan, New Delhi.
6. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), कमरा नं.199, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
   Joint Secretary (Admn.), Room No.199, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. संयुक्त सचिव(प्रशासन), कमरा नं.199, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
   Joint Secretary (Admn.) Room No. 199, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan New Delhi.
8. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग परिचालन और प्रशासन प्रभाग। कमरा नं.6, तीसरी मंज़िल, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली
   Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Operation and Administration Division, Room No.6, 3rd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
9. अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, पोस्ट बाक्स नं.40, आणंद 388001
   Chairman, NDDB, P.B.No.40, Anand 388001.

10. सभी राज्य सरकार, पशुपालन और डेयरी विभाग
All State Governments, Department of Animal Husbandry & Dairying.

11. प्रबंध निदेशक, दुग्ध संघ, सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश
MD, Milk - Federation, States / UTs

12. तकनीकी निदेशक, एनआईसी (उनसे अनुरोध है कि विभाग की वेबसाइट में प्रशासनिक अनुमोदन शामिल करें)
Technical Director, NIC (With a request to Include the Administrative approval in website of the Department)

13. अध्यक्ष के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
EA to Chairman, NABARD, HO, Mumbai

14. उप प्रबंध निधेशकों के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
EA to DMDs, NABARD, HO, Mumbai

15. मुख्य महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय
Chief General Manager / Officer In Charge; All R.O., NABARD

प्रति सूचनार्थ प्रेषित Copy for information to:

प्रधान निजी सचिव PPS to Secretary (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य व्यवसाय विभाग AHD&F)

प्रधान निजी सचिव PPS to AS &FA

प्रधान निजी सचिव PPS to AHC

PS to JS (C&DD)/ Dir (DD)/Dir (Budget)/DC(DD)/ US {Fin)t' AC (DD)/AO(Budget) .
PS to JS(AN'LM)/Ps to JS(LH)

(एन. एम. जाधव. / N.M.Jadhav)

प्रबंधक / Manager

अनुलग्नक Encl: यथोपरि As Above

अनुबंध - I

डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए राज्य-वार बजेट आंबटन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2017-18 के लिए आंबटन			
		सामान्य / अ. ज.	अनु. जा.	उ. पू. क्षे.	Total
1	अंडमान और निकोबार	9.15	1.77		**10.92**
2	आंध्रा प्रदेश	1830.00	353.00		**2183.00**
3	बिहार	1647.00	282.40		**1929.40**
4	छतीसगढ़	190.32	105.90		**296.22**
5	दिल्ली	0.91	35.30		**36.21**
6	गोवा	36.60	1.77		**38.37**
7	गुजरात	1281.00	211.80		**1492.80**
8	हरयाणा	165.62	264.75		**430.37**
9	हिमाचल प्रदेश	201.30	247.10		**448.40**
10	जम्मू और कश्मीर	219.60	211.80		**431.40**
11	झारखंड	64.05	7.06		**71.11**
12	कर्नाटक	915.00	211.80		**1126.80**
13	केरला	915.00	95.30		**1010.30**
14	मध्य प्रदेश	915.00	88.25		**1003.25**
15	महाराष्ट्र	3294.00	141.20		**3435.20**
16	ओड़ीशा	228.75	88.25		**317.00**
17	पंजाब	915.00	264.75		**1179.75**
18	राजस्थान	2104.50	264.75		**2369.25**
19	तमिलनाडू	366.00	264.75		**630.75**
20	तेलांगना	1098.00	141.20		**1239.20**
21	ऊतर प्रदेश	1098.00	275.34		**1373.34**
22	उतराखंड	549.00	282.40		**831.40**
23	पश्चिम बंगाल	68.20	47.36		**115.56**
24	अरुणाचल प्रदेश			117.00	**117.00**
25	आसाम			819.00	**819.00**
26	मणिपुर			58.50	**58.50**
27	मेघालय			468.00	**468.00**
28	मिज़ोरम			234.00	**234.00**
29	नागालैंड			58.50	**58.50**
30	सिक्किम			117.00	**117.00**
31	त्रिपुरा			128.00	**128.00**
	Total	**18112.00**	**3888.00**	**2000.00**	**24000.00**

ANNEXURE – I

State-wise Allocation for year 2017-18 under Dairy Entrepreneurship Development Scheme

(Rs. In lakh)

Sr. No.	State	Allocation for the year 2017-18			
		Gen / ST	SC	NER	Total
1	Andaman and Nicobar	9.15	1.77		**10.92**
2	Andhra Pradesh	1830.00	353.00		**2183.00**
3	Bihar	1647.00	282.40		**1929.40**
4	Chattisgarh	190.32	105.90		**296.22**
5	Delhi	0.91	35.30		**36.21**
6	Goa	36.60	1.77		**38.37**
7	Gujarat	1281.00	211.80		**1492.80**
8	Haryana	165.62	264.75		**430.37**
9	Himachal Pradesh	201.30	247.10		**448.40**
10	Jammu & Kashmir	219.60	211.80		**431.40**
11	Jharkhand	64.05	7.06		**71.11**
12	Karnataka	915.00	211.80		**1126.80**
13	Kerala	915.00	95.30		**1010.30**
14	Madhya Pradesh	915.00	88.25		**1003.25**
15	Maharashtra	3294.00	141.20		**3435.20**
16	Odisha	228.75	88.25		**317.00**
17	Punjab	915.00	264.75		**1179.75**
18	Rajasthan	2104.50	264.75		**2369.25**
19	Tamil Nadu	366.00	264.75		**630.75**
20	Telangana	1098.00	141.20		**1239.20**
21	Uttar Pradesh	1098.00	275.34		**1373.34**
22	Uttarakhand	549.00	282.40		**831.40**
23	West Bengal	68.20	47.36		**115.56**
24	Arunachal Pradesh			117.00	**117.00**
25	Assam			819.00	**819.00**
26	Manipur			58.50	**58.50**
27	Meghalaya			468.00	**468.00**
28	Mizoram			234.00	**234.00**
29	Nagaland			58.50	**58.50**
30	Sikkim			117.00	**117.00**
31	Tripura			128.00	**128.00**
	Total	**18112.00**	**3888.00**	**2000.00**	**24000.00**

फा. सं. 1-1/2009-डीपी
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक 20 अप्रैल, 2017

सेवा मेरे

प्रधान लेखा अधिकारी,
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,
पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
16, अकबर रोड हौटमेंट्स,
नई दिल्ली -110011

विषय:- वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना - 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।

महोदय

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 9 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1-1/09-डी.पी. के अनुसार 12वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना- "डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' (डीईडीएस)" के प्रथम प्रशासनिक अनुमोदन के कार्यान्वयन का और दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के पत्र संख्या 1-1/09-डी.पी. के द्वारा जारी किए गए अन्तिम प्रशासनिक अनुमोदन का संदर्भ देने तथा 12वीं योजना के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए डीईडीएस योजना को जारी रखने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. <u>योजना के उद्देश्य</u>

- स्व-रोजगार का सृजन और डेयरी क्षेत्र को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।
- श्रेष्ठ प्रजनन स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए हीफर बछड़ा पालन को प्रोत्साहन।
- असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना, जिससे कि ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध प्रसंस्करण प्रारंभ हो सके।
- व्यापारिक स्तर पर दूध को हैण्डिल करने के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना और
- दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण द्वारा दुग्ध को मूल्य संवर्धित करना।

केप्रो पात

Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A. H., D. & F.
Krishi Bhawan, New Delhi

3. **कार्यान्वयन एजेंसी और परिचालन का क्षेत्र-**

देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डेयरी उदयमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) नोडल एजेंसी होगा।

4. **योजना का परिव्यय-**

वर्ष 2017-18 के दौरान 240.00 करोड़ रूपये का प्रावधान है जिसमें 181.12 करोड़ रूपये एमएच 2404 (सामान्य घटक) 38.88 करोड़ रूपये एम एच 2404 (एस.सी.घटक) और 20.00 करोड़ रूपये एमएच 2552 (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के तहत सम्मिलित हैं।

5. **वित्त पोषित किए जा सकने वाले घटक, ईकाई लागत सूचकात्मक और सहायता का पैटर्न नीचे दिया गया है-**

क्र.सं.	घटक	इकाई लागत	सहायता का पैटर्न
i	संकर गाय/देशी नस्ल दुधारु गाय जैसे साहिवाल, रेड सिंधी, गीर, राठी इत्यादि/ग्रेडेड भैंस के साथ 10 पशु तक लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना (एसएचजी, सहकारी समितियों, उत्पादन कंपनियों के लिए ईकाई का आकार प्रति सदस्य 2-10 पशु ईकाई)	10 पशु इकाई के लिए 6.00 लाख रूपये- निम्नतम ईकाई आकार 2 पशु और अधिकतम ईकाई आकार 10 पशु	बैक-एन्डेड पूंजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33%) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए)। प्रति पशु 15,000 रु की अधिकतम सीमा पर अधिकतम 10 पशुओं के यथानुपात आधार पर सब्सिडी प्रतिबंधित रहेगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 20,000 रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम हो। लाभार्थी उच्च लागत वाले पशुओं का क्रय कर सकते हैं यद्यपि सब्सिडी उपर्युक्त सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी।
ii	हीफर बछड़ों का पालन- संकर नस्ल, दुधारू नस्ल के देशी गोपशु और ग्रेडेड भैंसे- 20 बछड़ों तक	20 बछड़ा ईकाई के लिए 5.30 लाख रूपये- 20 बछड़ों की उच्चतम सीमा सहित	बैक-एण्डेड पूंजी सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए)।अधिकतम 20 पशुओं के लिए सब्सिड़ी की उच्चतम सीमा 6,600 रूपये यथानुपात आधार पर प्रति बछड़ा प्रतिबंधित होगी(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 8,800 रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
iii	दुधारू पशु ईकाई के साथ वर्मीकंपोस्ट (दुधारू पशुओं/लघु डेयरी फार्म, के साथ विचार योग्य, अलग-	22,000 रु.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 5,500 रु. (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 7,300 रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम

के.सो. पा.

Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Krishi Bhawan, New Delhi

	अलग नहीं)		हो।
iv	दुग्ध निकालने की मशीनें/दुग्ध परीक्षक/वृहत दूध शीतलन इकाइयां (5000 लीटर की क्षमता तक)	20 लाख रू.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 5.0 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 6.67 लाख रू.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
v	देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों का क्रय	13.20 लाख रू.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 3.30 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 4.40 लाख रू.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
vi	डेयरी उत्पाद ढुलाई व्यवस्था और शीतलन श्रृंखला की स्थापना	26.50 लाख रू.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 6.625 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 8.830 लाख रू.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
vii	दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भंडारण की व्यवस्था	33 लाख रू.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 8.25 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 11.0 लाख रू.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
viii	निजी पशुचिकित्सा क्लीनिकों की स्थापना	सचल क्लीनिक के लिए 2.60 लाख रू. और स्थायी क्लीनिक के लिए 2 लाख रूपये	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा रू. 65,000 और 50,000 रू (अनु.जाति/अनु.जनजाति के किसानों के लिए लिए 86,600/- रू. और 66,600/- रू.) क्रमश: चालित और स्थाई क्लीनिकों अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
ix	डेयरी विपणन केन्द्र/डेयरी पार्लर	1.0 लाख रू.	बैक-एण्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) उच्चतम सीमा 25.000 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के किसानों के लिए 33,300 लाख रू.) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।

के.सी. पात्र

टिप्पणी:- सब्सिडी धनराशि 100 रु. के निकटतम पूर्णांकित की जाएगी। लाभार्थी परियोजना प्रस्ताव बिना किसी सीमा के जमा कर सकते हैं। यद्यपि योजना के तहत बैंक-ऐन्डेड पूंजी सब्सिडी उच्चतम सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी। नाबार्ड द्वारा अधिसूचित लागत नियमों पर आधारित योजना के तहत स्वीकार्य घटकों की लागत को बैंकों को प्रमाणित करना होगा।

6 पात्र लाभार्थी:-

1. किसान, निजी उद्यमी और असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के समूह (संगठित क्षेत्र समूह में अपने सदस्यों की तरफ से स्वय सहायता समूह, डेयरी सहकारी समितियां, अपने सदस्यों की तरफ से दुग्ध संघ, दुग्ध महासंघ, पंचायती राज संदस्य इत्यादि शामिल हैं) इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं।
2. अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा लेकिन प्रत्येक घटक के लिए एक बार सहायता प्राप्त कर सकेगा।
3. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर अलग इकाई और अलग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार के दो फार्मों के बीच की दूरी कम से कम 500 मी. होनी चाहिए।

(

7. सहायता का पैटर्न

क) सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 25% बैक-एण्डेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33% सब्सिडी होगी। घटक वार सब्सिडी की अधिकतम सीमा नाबार्ड द्वारा समय-समय तैयार सांकेतिक लागत की शर्त पर होगी।

ख) 1 लाख रूपये से अधिक ऋण के लिए उद्यमी योगदान (मार्जिन)* - परियोजना लागत की 10% (कम से कम)

ग) बैंक ऋण-शेष भाग
[भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन की शर्त पर]

8. योजना के तहत पुन: वित्त पोषण योग्य पात्र वित्तीय संस्थान

क - वाणिज्यक बैंक
ख - क्षेत्रीय, ग्रामीण और शहरी बैंक
ग - राज्य, ग्रामीण सहकारी बैंक
घ - राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक: और
ड. - दूसरे अन्य संस्थान जो नाबार्ड द्वारा पुन: वित्त पोषण योग्य पात्र हैं।

9. क्रेडिट के साथ संबद्धता-

योजना के तहत सहायता पूर्णत: क्रेडिट रूप से जुड़ी होगी और पात्र वित्तीय संस्थान द्वारा परियोजना के मंजूर होने और योजना के साथ संलग्न दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

के. सी. पात्र

10. **प्राथमिकताएं**

नाबार्ड को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क के साथ कार्य करना चाहिए ताकि प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर क्लस्टर मोड में कार्यान्वित किया जा सके। नाबार्ड बैंकों को दिशानिर्देश देगा कि वह परियोजना को किसान समूहों/स्वयं सहायता समूह में महिलाएं, सहकारिता और उत्पादन कंपनी सहित प्रसंस्करण की सुविधाओं का निर्माण, समूह रूप में उत्पादित दूध का मूल्य संवर्धन एवं विपणन में कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दे।

11. नाबार्ड को प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों और लाभान्वित किसानों/उद्यमियो जिसमे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों सहित और महिलाएं सम्मिलित हैं, घटकवार जारी धनराशि, स्वीकृत धनराशि और ऋण वापसी का मासिक ब्यौरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को देगा।

12. वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत धनराशि की 16.2% धनराशि अनुसूचित के किसानों/लाभार्थियों के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए।

13. योजना को 12वीं योजना अवधि के लिए वास्तविक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है और वर्तमान समय में यह समीक्षाधीन है। इस प्रशासनिक अनुमोदन को निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जा रहा है-

(क) योजना का लंबित मूल्यांकन/अनुमोदन 31.03.2017 से परे अर्थात 30.09.2017 तक 6 महीने तक की अवधि के लिए आंतरिक विस्तार के लिए 12वीं योजना हेतु अनुमोदित योजना की प्रकृति, क्षेत्र और कवरेज में कोई बदलाव नहीं होगा, की शर्त पर स्वीकृत किया गया है।

(ख) विभिन्न घटकों के लिए सहायता के मानदंड वैसे ही होंगे जैसा कि 12वीं योजना हेत सरकार द्वारा अनुमोदित होगा और इस आंतरिक अवधि के दौरान कोई परिवर्तन/संशोधन/अतिरिक्त को इन योजना घटकों/परिचालन दिशा-निर्देशों में मान्य नहीं होगा।

(ग) इस अवधि के दौरान सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का उपबंध लागू होगा।

(घ) राशि का जारी होना दिनांक 04.08.2016 के कार्यालय आदेश सं. 4(10)- डब्ल्यू और एम/2016 के तहत जारी की गई रोकड़ प्रबंधन प्रणाली दिशा निर्देश के अनुसार होगी।

14. 2017-18 के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए यह प्रशासनिक अनुमोद पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के एकीकृत वित्तीय प्रभाग द्वारा डायरी नं0 4102 फ टी एस एएस और एफए दिनांक 19.04.2017 के तहत प्रकाशित.

के.सी. पात्रा

(के0 सी0 पात्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' के लिए दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 डेयरी क्षेत्र में स्वयं रोजगार अवसरों का सृजन, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, संरक्षण, परिवहन प्रसंस्करण और दुग्ध वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग बैंक ग्राहय परियोजनाओं को बैक-एन्डेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान करते हुए डी.ई.डी.एस. योजना को 01.09.2010 से कार्यान्वित कर रहा है। योजना को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.2 डीईडीएस योजना को पूरे देश में डेयरी उद्यमियों से अपार समर्थन प्राप्त हुआ है। लघु सीमान्त किसानों और डेयरी उद्यमियों के जीविका के अवसर बढ़ाने और रोजगार सृजन के योगदान को देखते हुए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने डीईडीएस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1400 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ जारी रखने की अनुमति दे दी है।

2. <u>योजना के उद्देश्य</u>

- स्वयं रोजगार का सृजन और डेयरी क्षेत्र को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।
- श्रेष्ठ प्रजनन भंडारण के लिए कलोर बछड़ा पालन के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहन।
- असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना जिससे कि ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध प्रसंस्करण प्रारंभ हो सके।
- व्यापारिक स्तर पर दूध को हैण्डिल करने के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकी मूल्य को अद्यतन करना और
- दुग्ध उत्पादों के उत्पादन और प्रसंस्करण द्वारा दुग्ध का मूल्य संवर्धित करना।

3. **कार्यान्वयन एजेंसी और परिचालन का क्षेत्र-**
देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रानीण विकास बैंक (नाबार्ड) नोडल एजेंसी होगा।

अतिरिक्त सचिव

4. योजना का व्यय और कार्यान्वित अवधि

पूरे देश में डीईडीएस योजना को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग ने 1400 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की है।

5. पात्र लाभार्थी:-

1. किसान निजी उद्यमी और असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के समूह (संगठित क्षेत्र समूह में अपने सदस्यों की तरफ से स्वय सहायता समूह, डेयरी सहकारी समितियां, अपने सदस्यों की तरफ से दुग्ध संघ, दुग्ध महासंघ, पंचायती राज सदस्य इत्यादि शामिल हैं) इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं।
2. अभ्यथी योजना के अंतर्गत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा लेकिन प्रत्येक घटक के लिए एक बार सहायता प्राप्त कर सकेगा।
3. एक परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर अलग इकाई और अलग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते है। इस प्रकार के दो फार्मो के बीच की दूरी कम से कम 500 मी. होनी चाहिए।

6. सहायता का प्रावधान

(क) सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 25% बैंक-ऐन्डेड पंजीगत सब्सिडी रूप में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 33.33%। घटक वार सब्सिडी सीमा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर तैयार सांकेतिक लागत की शर्त पर होगी।

(ख) 1 लाख रूपये से अधिक ऋण के लिए उद्यमी योगदान (मार्जिन) *-परियोजना लागत की 10% (कम से कम)

(ग) बैंक ऋण-शेष भाग

[भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में संशोधन की शर्त पर]

7. योजना के तहत पुन: वित्त पोषण के लिए पात्र वित्तीय संस्थान

क- वाणिज्यिक बैंक

ख- क्षेत्रीय ग्रामीण तथा शहरी बैंक

ग -राज्य, ग्रामीण सहकारी बैंक

घ - राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और

ड.- दूसरे अन्य संस्थान जो नाबार्ड द्वारा पुन: वित्त पोषण के लिए पात्र हैं।

8. क्रेडिट के साथ संबद्धता

योजना के तहत सहायता पूर्णत: क्रेडिट से संबंद्ध होगी और उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित पात्र वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की संस्वीकृति की शर्त पर होगी।

9. बैंकों द्वारा परियोजना की मंजूरी (वित्तीय संस्थान)

9.1 योजना के मानकों के अनुसार उद्यमी परियोजना तैयार करेगा और इसे बैंक की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा। बैंक पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन करेगा और योग्य पाए जाने पर, मार्जिन छोड़कर कुल परिव्यय को बैंक ऋण के रूप में मंजूर करेगा। ऋण की राशि यूनिट की प्रगति के आधार पर उपयुक्त किस्तों में जारी की जायेगी। ऋण की पहली किस्त जारी होने के पश्चात् वित्तीय संस्थान/बैंक सब्सिड़ी की राशि की मंजूरी और उसे जारी करने के लिए नाबार्ड के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करेगा।

9.2 सभी वित्तीय बैंकों को बैंक ऋण के वितरित होने के 2 महीने के अंदर ही अपने सब्सिडी दावो को नियंत्रण कार्यालय के जरिये नाबार्ड के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा।

10. परियोजना मंजूरी समिति (पी.एस.सी.)

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की परियोजना मंजूरी समिति संबंधित वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार करेगी और प्रस्ताव के प्राप्त होने के एक महीने के अंदर उपयुक्त पैकेज के सब्सिडी मामलों को मंजूरी देगी।

11. सब्सिडी जारी करना-

11.1 नाबार्ड को प्राप्त दावों के प्रति उसकी वचनबद्ध/प्रत्याशित देयताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार नाबार्ड को अग्रिम रूप से धनराशि जारी करेगा तथा एक निश्चित स्तर से शेष नीचे आने पर धनराशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। नाबार्ड द्वारा इस धनराशि का प्रयोग वित्तीय बैंकों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को उनके सब्सिडी दावों के अनुसार बैंक-ऐन्डेड धनराशि जारी करने में किया जाएगा।

11.2 परियोजना मंजूरी समिति द्वारा सब्सिडी मंजूर होने के पश्चात नाबार्ड मुख्यालय द्वारा धनराशि की उपलब्धता की पुष्टि के बाद नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय सब्सिडी की धनराशि जारी करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर सब्सिडी पहले आओ पहले पाओं के आधार पर जारी की जायेगी।

11.3 सभी वित्तीय बैंकों को सब्सिडी धनराशि वित्तीय संस्थान/बैंक की किताव में "सब्सिडी रिजर्व धनराशि खाते (ऋणीवार)" में रखने होगा और नाबार्ड से सब्सिडी को प्राप्त होने से सात दिनों के अंदर लाभार्थी के सब्सिडी रिजर्व धनराशि खाता में सब्सिडी धनराशि समाहित करनी होगी। यदि किसी कारण से सात दिनों के अंदर प्राप्त सब्सिडी धनराशि लाभार्थी के सब्सिडी रिजर्व धनराशि खाता में समाहित नहीं की जाती है तो वित्त पोषण करने वाले बैंकों को लाभार्थी को लगाए गए अतिरिक्त ब्याज सहित मुआवजा देना होगा।

11.4 नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त करने के बाद वित्तीय बैक/संस्थान के नियंत्रण कार्यालय को एक उपयोगिता प्रमाणपत्र देना होगा कि लाभार्थी के विवरण सहित धनराशि को लाभार्थी के रिजर्व धनराशि खाते में क्रेडिट कर दिया गया है सब्सिडी प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर इस प्रमाणपत्र को नाबार्ड के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा।

12. योजना के तहत ऋण धनराशि पर लागू ब्याज दर

ऋण पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और संबद्ध बैंक की घोषित पॉलिसी के अनुसार होगा। बैंक सम्पूर्ण ऋण धनराशि पर ब्याज लगा सकते हैं जब तक कि सब्सिडी वाला हिस्सा प्राप्त न हो जाए और सब्सिडी प्राप्ति की तिथि के बाद ब्याज केवल प्रभावी बैंक ऋण वाले हिस्से पर ही लगेगा अर्थात् सब्सिडी सहित बैंक ऋण।

13. परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा

13.1 परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा (बछड़ा पालन इकाई के अलावा जहां वितरण दो वर्ष तक जारी परियोजना के अनुसार होगी. यह ऋण की पहली किस्त के वितरण से अधिकतम 9 माह की शर्त पर होगी। यह अधिकतम अवधि 3 महीने तक विस्तारित की जा सकती है यदि लाभार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को वित्तीय बैंक द्वारा उपयुक्त पाया जाता है तो।

13.2 किसी कारणवश यदि परियोजना दिए गए समय में पूर्ण नहीं होती है तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, यदि प्रतिभागी बैंक को अग्रिम सब्सिडी दी गई है तो उसे वह सब्सिड़ी नाबार्ड को वापस करनी होगी।

14. प्रतिभू/गारंटी

14.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभू होगी।

14.2 एक लाख से कम के ऋण पर अथवा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में संशोधित यथा विनिर्दिष्ट अन्य किसी धनराशि के लिए 10% के लाभार्थी अंशदान की आवश्यकता नहीं होगी।

14.3 इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का प्रयोग किया जा सकेगा, यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की शर्त पर होगा।

15. धन वापसी

15.1 गतिविधि के प्रकार और नकद प्रवाह के आधार पर धन वापस करने की अवधि 3 से 7 वर्ष के बीच भिन्न-भिन्न् रहेगी। डेयरी फार्म के मामले में छूट अवधि 3 से 6 महीने के बीच होगी तथा बछड़ा पालन ईकाई के लिए 3 साल होगी। प्रत्येक परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

15.2 ऋण वसूली केवल मूल ऋण धनराशि के आधार पर होगी। मूल ऋण धनराशि (सब्सिडी रहित बैंक ऋण घटा) और उस पर ब्याज अदा कर दने के पश्चात् ।संबंधित बैंक द्वारा सब्सिडी समायोजन की जायेगी।

15.3 धन वापसी संबंधी समय-सीमा पूरे बैंक ऋण के संबंध में इस प्रकार तैयार की जाएगी निवल कि बैंक ऋण (सब्सिडी रहित) के परिशोधन सब्सिडी धनराशि का समायोजन हो जायेगी।

16. सब्सिडी का समायोजन

16.1 पूंजीगत सब्सिडी न्यूनतम तीन वर्ष की लॉक-इन अविध के साथ बैक ऐन्डेड होगी (बैंकऋण के आखिरी कुछ किस्तों की अदायीगी में समायोजित और यदि खाता एक गैर निष्पादन खाता बन जाएगा तो वापस कर दी जायेगी।

16.2 सब्सिडी धनराशि को वित्तीय संस्थान/बैंक की किताव में सब्सिडी रिजर्व धनराशि खाता (ऋणी वार) में रखा जायेगा। इस खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

के होयशीपाल

17. निगरानी तंत्र

17.1 **परियोजना मंजूरी समिति (सीएससी)**- नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में स्थित परियोजना मंजूरी समिति तिमाही आधार पर योजना की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगी। प्रतिभागी बैंक बीच-बीच में इकाई का निरीक्षण करेंगे और परियोजना मंजूरी समिति को फीडबैक देंगे।

17.2 **संयुक्त निगरानी समिति-(जेएमसी)**-संयुक्त सचिव(डीडी) की अध्यक्षता में नाबार्ड, संबद्ध बैंक और चारा राज्यों के पशुपालन, डेयरी के प्रभारी, सचिवों साथ दो वर्ष की रोटेशन अवधि के आधार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निगरानी समिति स्थापित की जायेगी, जो नियमित अंतराल पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेंगी।

17.3 **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसीएस) और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी)** संबद्ध राज्य में नियमित अंतराल पर योजना की निगरानी और समीक्षा करेगी।

17.4 नाबार्ड नमूना आधार पर फील्ड यात्रा आयोजित करके इस योजना के तहत स्थापित ईकाईयों की निगरानी करेगा और प्रमुख टिप्पणियों को चर्चा के लिए परियोजना मंजूरी समिति के समक्ष रखा जायेगा। यदि कोई टिप्पणी ऐसी है कि उसे संयुक्त निगरानी समिति के सामने लाना आवश्यक है तो नाबार्ड ऐसा करेगा।

17.5 नाबार्ड अनुबंध-1 में संलग्न प्रारूप में प्राप्त और मंजूर प्रस्तावों, लाभान्वित, किसानों/उद्यिमों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला सदस्यों सहित घटकवार जारी धनराशि का विवरण, स्वीकृत धनराशि और ऋण वसूली से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

18. अन्य शर्तें

18.1 सचिव (सीएडीएफ) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति को नाबार्ड से प्राप्त इनपुट के आधार पर सूचकात्मक ईकाई लागत को बदलने का विवेकाधिकार है।

18.2 योजना आयोग के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससीपी-एससी) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष घटक योजना के तहत बजट अनुमान 2013-14 में अनुसूचित जाति के किसानों/लाभार्थियों के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया गया है।

18.3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को बिना कोई कारण बताए किसी भी शर्त/प्रतिबंध को बदलने, जोड़ने और हटाने का अधिकार है तथा विभिन्न शब्दों की विभागीय व्याख्या अन्तिम होगी। इसके

अलावा विभाग को इस योजना के अन्तर्गत दी गई किसी भी धनराशि का बिना कोई कारण बताए वापिस लेने का अधिकार है।

18.4 परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को जांचने के लिए पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग आकस्मिक निरीक्षण करेगा।

18.5 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा की शर्त पर प्रतिवर्ष वितरित होने वाली सब्सिडी के 3.5 % के बराबर निधियां प्रशासनिक खर्च के लिए नाबार्ड को उपलब्ध कराई जाएंगी। (निगरानी और मूल्यांकन सहित उपलब्ध कराए गए 3.5% प्रशासनिक खर्च में से 1% नाबार्ड द्वारा योजना के प्रचार पर खर्च किया जायेगा)।

18.6 सभी पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए नाबार्ड पूरे देश में योजना का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। प्रचार खर्च एक वर्ष में वितरित सब्सिडी के 1% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में संभाव्य लाभार्थियों को संवदेनशील बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

18.7 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग/नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिचालन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

18.8 नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, (सीआरआरबी) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और ऐसी अन्य पात्र संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा। इस पुनर्वित सहायता पर ब्याज की मात्रा और दर नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए अनुसार होगी।

18.9 डीईडीएस योजना के तहत धन प्राप्त इकाई में "पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के डीईडीएस के तहत नाबार्ड के माध्यम सहायता प्राप्त सूचनापट्ट लगा होगा।

19. वित्त पोषित किए जा सकने वाले घटक, सूचकात्मक ईकाई लागत और सहायता का नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	घटक	इकाई लागत	सहायता का पैटर्न
i	संकर गाय/देशी नस्ल दुधारु गाय जैसे साहिवाल, रेड सिंधी, गीर राठी इत्यादि/ग्रेडेड भैंस के साथ 10 पशु तक लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना (एसएचजी सहकारी समितियां, उत्पादन कंपनियों के लिए प्रति सदस्य 2-10 पशु ईकाई)	10 पशु वाली इकाई के लिए 6.00 लाख रुपये निम्नतम ईकाई आकार 2 पशु अधिकतम ईकाई आकार 10 पशु	बैक-ऐन्डेड पूंजी सब्सिडी के रूप में परि-योजना लागत का 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए(33.33%) 15,000/-रुपए प्रति पशु अथवा वास्तविक जो भी कम हो, की सीमा की शर्त पर सब्सिडी, अधिकतम 10 पशुओं के यथानुपात आधार पर सीमित होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 20,000 रुपये)। पशुओं का क्रय कर सकते हैं यद्यपि सब्सिडी की उपर्युक्त सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी।
ii	कलोर बछड़ों का पालन-संकर नस्ल दुधारू नस्ल के देशी नस्ल गोपशु और ग्रेडेड भैंसे- 20 बछड़ों तक	20 बछड़ों वाली ईकाई के लिए 5.30 लाख रुपये- 20 बछड़ों की उच्चतम सीमा के साथ	बैक-ऐन्डेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 33.33%)। 6,600/-रुपए प्रति पशु अथवा वास्तविक जो भी कम हो, की सीमा की शर्त पर सब्सिडी, अधिकतम 10 पशुओं के यथानुपात आधार पर सीमित होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 8,800 रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
iii	दुधारू पशु ईकाई के साथ मिश्रित खाद (दुधारू पशुओं/लघु डेयरी फार्म, के साथ विचार योग्य, अलग-अलग नहीं)	22,000 रु0	5,500 रुपए अथवा वास्तविक जो भी कम हो की सीमा की शर्त पर बैक-ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए)विषयानुसार उच्चतम सीमा 5,500 रु0 (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 7,300 रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।

कार्योपरान्त

iv	दुग्ध निकालने की मशीनें/दुग्ध परीक्षक/वृहत दूध शीतलन इकाइयां (5000 लीटर की क्षमता तक)	20 लाख रू0	5,500 रुपए अथवा वास्तविक जो भी कम हो की सीमा की शर्त पर बैंक-ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए)विषयानुसार उच्चतम सीमा 5,500 रू0 (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 6,67 लाख रूपये) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
v	देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों का क्रय	13.20 लाख रू0	बैंक ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) 6.625 (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 8.830 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
vi	डेयरी उत्पाद दुलाई व्यवस्था और शीतन श्रंखला की स्थापना	26.50 लाख रू0	बैंक ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) 6.625 (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 8.830 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
vii	दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के लिए शीत भंडारण प्रसुविधाएं	33 लाख रू0	बैंक ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) 8.25 (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 11.0 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
viii	निजी पशुचिकित्सा क्लीनिकों की स्थापना	मोबाइल क्लीनिक के लिए 2.60 लाख रू0 और स्टेशनरी क्लीनिक के लिए 2 लाख रूपये	बैंक ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) 65,000/- और 50,000/- (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 86,000 और 66,6000 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।
ix	डेयरी उत्पाद विपणन	1.0 लाख रू0	बैंक ऐन्डेड सब्सिडी के रूप में परियोजना

कार्यालय प्रति

	/डेयरी पार्लर		लागत का 25% (33.33% अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए) विषयानुसार उच्चतम सीमा 25,000 लाख रूपये (अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 33,300 लाख रू0) अथवा वास्तविक जो भी कम हो।

टिप्पणी:- सब्सिडी धनराशि को निकटतम 100 रू0 में पूर्णांकित किया जाएगा। लाभार्थी बिना किसी सीमा के परियोजना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। यद्यपि योजना के तहत बैंक-ऐन्डेड पूंजी सब्सिडी उपर्युक्त सीमा तक प्रतिबंधित रहेगी। बैंक नाबार्ड द्वारा अधिसूचित लागत मानकों के आधार पर इस योजना केअंतर्गत देया घटकों की लागत की पुष्टि करेंगे। लागत घटक को बैंकों को प्रमाणित करना

कालियरन याद

अनुबंध-I

डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना की प्रगति रिपोर्ट

राज्यवार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण, नाबार्ड द्वारा श्रेणीवार जारी सब्सिडी (सामान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाएं)

माह ----------

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या		मंजूर किए गए प्रार्थना पत्रों की संख्या										लंबित पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या		स्थिति
				सामान्य श्रेणी		अनु.जाति लाभार्थी		अनु.जनजाति लाभार्थी		महिला लाभार्थी		कुल योग				
		ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	ईकाई	लागत	

F.No.1-1/2009-DP
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries
Dairy Division

Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Dated the 20th April, 2017

To

Principal Accounts Officer,
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,
Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
16, Akbar Road Hutments,
New Delhi-110011.

Subject: - Administrative Approval for implementation of Central Sector Scheme – **"DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME"** during 2017-18.

Sir

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No 1-1/09-DP dated 9th September, 2010 conveying first administrative approval for Central Sector Scheme – "**DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME (DEDS)**" implementation during 12th Plan and last administrative approval issued vide letter No 1-1/09-DP dated 11th April, 2016 and to convey administrative approval for continuation of DEDS scheme for the financial year 2017-18 **beyond 12th Plan.**

2. **Objectives of the Scheme**

- to generate self-employment and provide infrastructure for dairy sector;
- to set up modern dairy farms and infrastructure for production of clean milk;
- to encourage heifer calf rearing for conservation and development of good breeding stock;
- to bring structural changes in the unorganized sector, so that initial processing of milk can be taken up at the village level;
- to upgrade traditional technology to handle milk on a commercial scale and
- to provide value addition to milk through processing and production of milk products.

3. **Implementing Agency and Area of Operation**

The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will be the nodal agency for implementation of DEDS scheme in all the States and UTs throughout the country.

(S. C. PATRA)
Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A. H. D. & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

4. **Outlays of the scheme**

There is budget provision of Rs 240.00 crore during the year 2017-18, which includes Rs 181.12 crore under MH2404 (General Component), Rs 38.88 crore under MH2404 (SC Component) and Rs 20.00 crore under MH 2552 (North Eastern Region).

5. **Components that can be financed, indicative unit cost and pattern of assistance are given below**:

S.No	Component	Unit Cost	Pattern of Assistance
i	Establishment of small dairy units with crossbred cows/ indigenous descript milch cows like Sahiwal, Red Sindhi, Gir, Rathi etc / graded buffaloes upto 10 animals. **(for SHGs, Cooperatives societies , Producer Companies unit size will be 2-10 animals per member)**	Rs 6.00 lakh for 10 animal unit – minimum unit size is 2 animals with an upper limit of 10 animals.	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers), as back ended capital subsidy. Subsidy shall be restricted on prorata basis to a maximum of 10 animals subject to a ceiling of Rs.15,000 per animal. (Rs.20,000 for SC/ST farmers) or actual whichever is lower. Beneficiaries may purchase animals of higher costs, however, the subsidy will be restricted to the above ceilings.
ii	Rearing of heifer calves – cross bred, indigenous descript milch breeds of cattle and of graded buffaloes – upto 20 calves	Rs 5.30 lakh for 20 calf unit – with an upper limit of 20 calves	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy. Subsidy shall be restricted on prorata basis to a maximum of 20 calf unit subject to a ceiling of Rs.6,600/- per calf (Rs.8,800 for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
iii	Vermi compost with milch animal unit (to be considered with milch animals/small dairy farm and not separately)	Rs 22,000/-	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 5,500/- (Rs 7300/- for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
iv	Purchase of milking machines /milkotesters/bulk milk cooling units (upto 5000 lit capacity)	Rs 20 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 5.0 lakh (Rs 6.67 lakh for SC / ST farmers) or actual whichever is lower.

v	Purchase of dairy processing equipment for manufacture of indigenous milk products	Rs 13.20 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC/ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 3.30 lakh (Rs 4.40 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
vi	Establishment of dairy product transportation facilities and cold chain	Rs 26.50 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 6.625 lakh (Rs 8.830 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
vii	Cold storage facilities for milk and milk products	Rs 33 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 8.25 lakh (Rs 11.0 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
viii	Establishment of private veterinary clinics	Rs 2.60 lakh for mobile clinic and Rs 2.0 lakh for stationary clinic	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 65,000/- and Rs 50,000/- (Rs 86,600/- and Rs 66,600/- for SC/ST farmers) respectively for mobile and stationary clinics or actual whichever is lower.
ix	Dairy marketing outlet / Dairy parlour	Rs 1.0 lakh/-	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 25,000/-(Rs 33,300/- for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.

Note:- *The subsidy amount will be rounded off to the nearest 100 Rupees. Beneficiaries may submit project proposals without any limit. However, the back ended capital subsidy under the scheme will be restricted to the above ceilings. The Banks will verify the costs of components admissible under the scheme based on the cost norms notified by NABARD.*

Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A, H, D & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

6. **Eligible Beneficiaries**

i) Farmers, Individual Entrepreneurs and Groups of Unorganized and Organized Sector. Group of organized sector, includes Self-Help Groups on behalf of their members, Dairy Cooperative Societies, Milk unions on behalf of their members, Milk federation, Panchayati Raj Institutions (PRIs) etc.are eligible under the scheme.

ii) An applicant will be eligible to avail assistance for all components under the scheme but only once for each component.

iii) More than one member of a family can be assisted under the scheme provided they set up separate units with separate infrastructure at different locations. The distance between the boundaries of two such farms should be at least 500 m.

7. **Pattern of Assistance**

a) Back ended capital subsidy @ 25% of the project cost for general category and @ 33.33 % for SC/ST farmers. The component-wise subsidy ceiling will be subject to indicative cost arrived at by NABARD from time to time.

b) Entrepreneur contribution (Margin) for loans beyond Rs.1 lakh* -10% of project cost (Minimum)

c) Bank Loan - Balance portion

[* Subject to any revision in RBI guidelines]

8. **Financial Institutions eligible for re-finance under the scheme**

a. Commercial Banks
b. Regional, Rural and Urban Banks
c. State Cooperative Banks
d. State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks: and
e. Such other institutions, which are eligible for refinance from NABARD

9. **Linkage with credit**

Assistance under the scheme shall be purely credit linked and subject to sanction of the Project by eligible financial institutions and as per the guidelines of the scheme enclosed herewith.

10. **Priorities:**

NABARD should work in close liaison with the State Governments and UTs so that the proposals on priority basis in cluster mode may be implemented. NABARD may also instruct to banks to give priority to projects being implemented in cluster mode farmers/Women in SHGs, Cooperatives and Producer Companies including creation of facilities of processing, value addition and marketing of milk produced in the cluster mode.

Ministry of Agriculture

11. NABARD shall furnish a monthly progress report to DAHD&F, regarding proposals received and sanctioned; farmers / entrepreneurs benefited; including Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST) & Women members; component-wise details of fund release; funds sanctioned and recovery of loan.

12. It may be ensured that 16.2% of the funds targeted for SC farmers/ beneficiaries under Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) as per the directives of Ministry of Finance.

13 The scheme was originally approved for the 12th Plan period and is presently under review. The Administrative approval is being issued subject to the following:

a) Pending appraisal /approval of the scheme, an interim extension for a period of six months beyond 31.03.2017 i.e upto 30.09.2017 has been granted subject to the condition that there shall be no change in nature, scope and coverage of the scheme as approved for 12th Plan.

b) The norms of assistance for various components shall be the same as approved by the Government for 12th Plan and no change /modification/addition shall be permissible in scheme components/operational guidelines during this interim period.

c) Provision of General Financials Rules, 2017 shall be applicable during this period.

d) Release of fund shall be as per Cash Management System guidelines issued by Budget Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance vide OM No. 4(10)-W&M/2016, dated 04.08.2016.

14. This administrative approval for continuation of the scheme during 2017-18 is issued with approval of IFD of the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries vide **Dy No 4102-FTS AS&FA dated 19.04.2017.**

Yours Sincerely

(K.C. Patra)
Under Secretary to the Govt. of India

GUIDELINES FOR DAIRY ENTREPNEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME FOR IMPLEMENTATION DURING THE 12TH FIVE YEAR PLAN.

1. Background

1.1 The Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries is implementing Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) since 01.09.2010 with the objective of generating self employment opportunities in the dairy sector, covering activities such as enhancement of milk production, procurement, preservation, transportation, processing and marketing of milk, by providing back ended capital subsidy for bankable projects. The scheme is being implemented by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

1.2 DEDS scheme has received overwhelming response from dairy entrepreneurs across the country. Considering the contribution made by the scheme in providing livelihood opportunities and gainful employment to small and marginal farmers and dairy entrepreneurs, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has approved the continuation of DEDS scheme with an outlay of Rs 1400 crores during the 12th Five Year Plan.

2. Objectives of the Scheme

- to generate self-employment and provide infrastructure for dairy sector;
- to set up modern dairy farms and infrastructure for production of clean milk;
- to encourage heifer calf rearing for conservation and development of good breeding stock;
- to bring structural changes in the unorganized sector, so that initial processing of milk can be taken up at the village level;
- to upgrade traditional technology to handle milk on a commercial scale and
- to provide value addition to milk through processing and production of milk products.

3. Implementing Agency and Area of Operation

The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will be the nodal agency for implementation of DEDS scheme in all the States and UTs throughout the country.

4. Outlays of the scheme and implementation Period

The Planning Commission has allocated an amount of Rs 1400 crores for DEDS scheme for 12th Five Year Plan for implementation of the scheme throughout the country.

5. Eligible Beneficiaries

5.1 Farmers, Individual Entrepreneurs and Groups of Unorganized and Organized Sector are eligible under DEDS. Group of organized sector, includes Self-Help Groups on behalf of their members, Dairy Cooperative Societies, Milk unions on behalf of their members, Milk federation, Panchayati Raj Institutions (PRIs) etc.

(K. C. PATEL)
Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Dept. of A, H, D, & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

5.2 An applicant will be eligible to avail assistance for all components under the scheme, but only once for each component. However, more than one member of a family can be assisted under the scheme provided they set up separate units with separate infrastructure at different locations. The distance between the boundaries of two such farms should be at least 500 m.

5.3 Priority shall be given to projects being implemented in a cluster mode covering dairy farmers/Women in SHGs, Cooperatives and Producer Companies including creation of facilities of processing, value addition and marketing of milk produced in the cluster.

6. Pattern of Assistance

a) Back ended capital subsidy @ 25% of the project cost for general category and @ 33.33 % for SC/ST farmers. The component-wise subsidy ceiling will be subject to indicative cost arrived at by NABARD from time to time.

b) Entrepreneur contribution (Margin) for loans beyond Rs.1 lakh* -10% of the project cost (Minimum)

c) Bank Loan - Balance portion
[* Subject to any revision in RBI guidelines]

7. Financial Institutions eligible for re-finance under the scheme

a. Commercial Banks
b. Regional Rural and Urban Banks
c. State Cooperative Banks
d. State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks: and
e. Such other institutions, which are eligible for refinance from NABARD

8. Linkage with credit

Assistance under the scheme shall be purely credit linked and subject to sanction of the Project by eligible financial institutions mentioned at para 7above.

9. Sanction of project by banks (Financial Institutions):

9.1 The entrepreneurs will prepare a project as per norms of the scheme and submit to the Bank for sanction of the project. The bank shall appraise the project as per the administrative approval issued by DADF from time to time and if found eligible, sanction the total outlay excluding the margin, as a bank loan. The loan amount shall be disbursed in suitable installments depending on the progress of the unit. After the disbursement of the first installment of the loan, the financial institution /bank shall apply to the concerned Regional Office of NABARD for sanction and release of subsidy amount.

9.2 All the financing banks shall be required to forward their subsidy claims through their controlling office to the concerned NABARD Regional Office within two months of disbursement of first installment of the bank loan.

(K. C. PATEL)
Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
D. A. H. D. & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

10. **Project Sanctioning Committee (PSC)**

Project Sanctioning Committee (PSC) of NABARD Regional Office shall consider proposals forwarded by the concerned financial institutions/banks and approve the subsidy cases of eligible applicants within one month of receipt of the proposals.

11. **Release of subsidy**

11.1 Government of India will release funds in advance to NABARD to meet the committed / anticipated liabilities towards the claims received by them and funds will be recouped after balance comes below a certain level. The funds will be utilized by NABARD for providing back ended capital subsidy to eligible beneficiaries through financing banks. as per their subsidy claims.

11.2 After sanction of the subsidy by the PSC, the Regional Office of NABARD shall release the subsidy amount, after confirming the availability of funds from NABARD Head Office. The subsidy shall be released on first come first serve basis subject to availability of funds allocated to the States/UTs.

11.3. All the financing banks shall be required to kept the subsidy amount in "Subsidy Reserve Fund Account (Borrower-wise) in books of the financing institution/bank and adjust the subsidy amount in the subsidy reserve fund account of the beneficiary within seven days of the receipt of subsidy from NABARD. In case the subsidy is not adjusted to the subsidy reserve fund account of the beneficiary within seven days of the receipt, the financing bank shall be liable to compensate the beneficiary to the extent of the additional interest charged.

11.4 After the receipt of subsidy from NABARD, the controlling office of the financing bank/ Institution shall submit a utilization certificate to the effect that the amount has been credited to the reserve fund account of the beneficiary alongwith details of the beneficiary. This certificate should be submitted to the concerned NABARD Regional Office within fifteen days of the receipt of subsidy.

12. **Rate of Interest applicable on the loan amount under the scheme**

Rate of interest on loans shall be as per RBI guidelines and the declared policy of the concerned bank. The bank may charge interest on the entire loan amount, until the subsidy portion is received; and from the date of the receipt of the subsidy, interest shall be charged only on the effective bank loan portion i.e. bank loan minus subsidy.

13. **Time limit for Completion of the project**

13.1 Time limit for completion of the project (except for calf rearing units where disbursements are expected to continue upto two years) would be as envisaged under the project, subject to a maximum period of 9 months from the date of disbursement of the first installment of loan. This maximum period may be extended by 3 months in cases where justification provided by the beneficiary is found adequate by the financing bank.

Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A, H, D, & F
Krishi Bhawan, New Delhi

13.2 In case, the project is not completed within the stipulated period, benefit of subsidy will not be available; the advance subsidy placed with the participating bank, if any, shall be refunded to NABARD.

14. Security/Surety

14.1 Security for availing the loan be as per the guidelines issued by RBI from time to time.

14.2 The beneficiary contribution of 10% shall not be required for loans less than Rs.1 lakh or any amount as specified in the RBI guidelines, as revised from time to time.

14.3 Kisan Credit Cards (KCC) may be used for availing loans under the scheme, subject to RBI guidelines.

15. Repayment

15.1. Repayment Period will vary between 3- 7 years depending on the nature of the activity and cash flow. Grace period may range from 3 to 6 months in case of dairy farms to 3 years for calf rearing units (to be decided by the financing bank as per needs of individual projects).

15.2 The recovery of the loan will be based on the net loan amount only. Subsidy shall be adjusted by the concerned bank after the net bank loan (Bank loan minus subsidy) and interest thereon has been repaid.

15.3 Repayment schedules shall be drawn on the total bank loan taken in a manner that the subsidy amount is adjusted after liquidation of the net bank loan (excluding subsidy).

16. Adjustment of subsidy

16.1 Capital subsidy will be back ended (adjusted against last few installments of repayment of the bank loan) with a minimum lock-in period of 3 years, and shall be refunded if the account becomes a Non Performing Account (NPA).

16.2 The subsidy amount will be kept in "Subsidy Reserve Fund Account (Borrower-wise) in books of the financing institution/bank. No interest shall be payable on this amount.

17. Monitoring Mechanism

17.1 Project **Sanctioning Committee (PSC)**: PSC set up at NABARD Regional Offices shall monitor and review the progress of the scheme on quarterly basis. The participating banks shall conduct periodic inspections of the units and give a feedback to the PSC.

17.2 **Joint Monitoring Committee (JMC):** Joint Monitoring Committee (JMC) set up under Chairmanship of Joint Secretary (DD) with representatives of NABARD, concerned Banks and State Secretaries-in-charge of AH&D of four States, on rotational basis for a period of two years, will monitor and review progress of implementation of the Scheme, at regular intervals.

17.3 The **State Level Bankers Committee (SLBC)** and **District Level Bankers Committee (DLBC)** shall review and monitor the Scheme in the concerned State at regular intervals.

Govt. of India
Ministry of Agriculture
Krishi Bhawan, New Delhi

17.4 Units set up under the scheme will be monitored by conducting **field visits** on a sample basis by NABARD and major observations shall be placed before the PSC for discussion. In case the observation is such that needs to be brought to the attention of JMC, NABARD shall do so.

17.5 **NABARD** shall furnish a **monthly progress report** to **DAHD&F**, regarding proposals received and sanctioned; farmers / entrepreneurs benefited; including SC, ST & Women members; component-wise details of fund release; funds sanctioned and recovery of loan in the format enclosed at **Annexure I.**

18. Other conditions:

18.1 Empowered Committee under the Chairmanship of Secretary (ADF) will have discretion to modify indicative unit cost, based on inputs from NABARD.

18.2 As per directives of Planning Commission, a Separate budgetary provision has been made in the Scheme for SC farmers/beneficiaries under the Special Component Plan for Scheduled Castes (SCP-SC) and for North Eastern States in BE 2013-14.

18.3 DAHD&F reserves the right to modify, add and delete any terms / conditions without assigning any reasons and the Department's interpretation of various terms will be final. Further, the Department reserves the right to recall any amount given under the scheme without assigning any reason thereof

18.4 Surprise inspection shall be undertaken by DAHD&F to assess the physical and financial progress of the projects.

18.5 NABARD would be provided funds equivalent to 3.5% of the subsidy disbursed per year for Administrative expenses (including monitoring and evaluation, of the 3.5% provided as Administrative Expenses, 1% will be spent by NABARD on Publicity of the Scheme) subject to the ceiling of Rs.6 crore per year

18.6 NABARD shall ensure adequate publicity of the scheme throughout the country to ensure that the benefits of the scheme are availed by all eligible beneficiaries. Publicity charges will be restricted to 1% of subsidy disbursed in a year. Special attention will be given to the North Eastern States to sensitize potential beneficiaries.

18.7 Other operational instructions issued by DAHD&F / NABARD from time to time will be strictly adhered to.

18.8 NABARD would provide refinance assistance to commercial banks, Regional Rural Banks (RRBs), Schedule Commercial Banks (SCBs), State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) and other such eligible institutions. Quantum and rate of interest on refinance will be as decided by NABARD from time to time.

18.9 A signboard displaying "Assisted under DEDS by Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Government of India through NABARD" will be exhibited at the unit funded under DEDS.

Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A. H. D. & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

19. **Components that can be financed, indicative unit cost and pattern of assistance are given below:**

S.No	Component	Unit Cost	Pattern of Assistance
i	Establishment of small dairy units with crossbred cows/ indigenous descript milch cows like Sahiwal, Red Sindhi, Gir, Rathi etc / graded buffaloes upto 10 animals Note: In the case of SHGs, Cooperatives societies , Producer Companies the unit size will be 2-10 animals per member)	Rs 6.00 lakh for 10 animal unit – minimum unit size is 2 animals with an upper limit of 10 animals.	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers), as back ended capital subsidy. Subsidy shall be restricted on prorata basis to a maximum of 10 animals subject to a ceiling of Rs.15,000 per animal, (Rs.20,000 for SC/ST farmers) or actual whichever is lower Beneficiaries may purchase animals of higher costs, however, the subsidy will be restricted to the above ceilings.
ii	Rearing of heifer calves – cross bred, indigenous descript milch breeds of cattle and of graded buffaloes – upto 20 calves	Rs 5.30 lakh for 20 calf unit – with an upper limit of 20 calves	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy. Subsidy shall be restricted on prorata basis to a maximum of 20 calf unit subject to a ceiling of Rs.6,600/- per calf (Rs.8,800 for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
iii	Vermi compost with milch animal unit (to be considered with milch animals/small dairy farm and not separately)	Rs 22,000/-	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 5,500/- (Rs 7300/- for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
iv	Purchase of milking machines /milkotesters/bulk milk cooling units (upto 5000 lit capacity)	Rs 20 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 5.0 lakh (Rs 6.67 lakh for SC / ST farmers) or actual whichever is lower.
v	Purchase of dairy processing equipment for manufacture of indigenous milk products	Rs 13.20 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC/ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 3.30 lakh (Rs 4.40 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
vi	Establishment of dairy product transportation facilities and cold chain	Rs 26.50 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 6.625

Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A, H, D. & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi

			lakh (Rs 8.830 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
vii	Cold storage facilities for Milk and Milk Products	Rs 33 lakh	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 8.25 lakh (Rs 11.0 lakh for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.
viii	Establishment of private veterinary clinics	Rs 2.60 lakh for mobile clinic and Rs 2.0 lakh for stationary clinic	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 65,000/- and Rs 50,000/- (Rs 86,600/- and Rs 66,600/- for SC/ST farmers) respectively for mobile and stationary clinics or actual whichever is lower.
ix	Dairy marketing outlet / Dairy parlor	Rs 1.0 lakh/-	25% of the project cost (33.33 % for SC / ST farmers) as back ended capital subsidy subject to a ceiling of Rs 25,000/-(Rs 33,300/- for SC/ST farmers) or actual whichever is lower.

Note:- *The subsidy amount will be rounded off to the nearest 100 Rupees. Beneficiaries may submit project proposals without any limit. However, the back ended capital subsidy under the scheme will be restricted to the afore mentioned ceilings. The Banks will verify the costs of components admissible under the scheme based on the cost norms notified by NABARD.*

Annexure I

Progress Report of Dairy Entrepreneurship Development Scheme

State-wish details of application received, subsidy released by NABARD category-wise (General, SC, ST and Women) and numbers of application pending are as under:

Month- ________

Sr No	State/ UTs	No of applications received		No of application sanction										No of application pending		Status
				General category		SC beneficiaries		ST beneficiaries		Women beneficiaries		Total				
		Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	Unit	Amount	

(P. C. PATRA)
Under Secretary
Govt. of India
Ministry of Agriculture
Deptt. of A. H. D. & Fisheries
Krishi Bhawan, New Delhi